

निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS

के. सी. चौधरी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक K. C. CHOWDHARY

Chairman & Managing Director





के. चेरियन वर्गीज कार्यपालक निदेशक K. CHERIAN VARGHESE Executive Director

डा. के. बी. एल. माथुर निदेशक, कित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार

DR. K. B. L. MATHUR Director, Ministry of Finance, Dept. of Economic Affairs, Banking Division, Govt. of India.





पी, आर. गोपाल राव मुख्य महाप्रबंधक एवं सविव भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय

P. R. GOPALA RAO Chief General Manager & Secretary Reserve Bank of India, Central Office.



जी.डी. वाडिया G.D.WADIA



ए.के. खन्ना A.K. KHANNA



प्रो. जी.डी. शर्मा PROF. G.D. SHARMA



गुल. एम. इकबाल GUL M. IQBAL



डी. डी. जगताप → D. D. JAGTAP



वी. वी. एम. राव V. V. M. RAO

शीर्ष कार्यंपालकगण

महाप्रबंधकगण वी. के. चोपड़ा एस. आर. नारायणन पी. आर. सेठी वी. के. भंडारी डी. विश्वनाथन जे. जे. भट्टाचार्जी एस. के. गुप्ता वी. पी. कृष्णन पी. **आ**र. सु**ब्रम**णियन एम. बी. खुर्जेकर एस. आर. कृष्णन पी. सुब्बाराव के. रघुरामन जी. गुप्ता एन. आर. मचाले उपः महाप्रवंधकगण श्रीमती के. एन. मिस्त्री एस. एस. सुरेश एस. टी. कारखानीस एम. आर. मल्या एच. पी. मिनोचा एम. एम. लोपेस एस. दासगुप्ता आई. सत्यनारायणा आर. पी. माहना डी. गोपालकृष्णन एन. के. जैसवाल आर. कासी ई. द्वारकीनाथैया एस. सी. बंद्योपाध्याय के. बालचन्द्रन पी. डी. फ्टेल के. के. गुप्ता ए. सुन्दरमूर्ति एम. मी. जुल्का टा. आर. वर्मा बीरेन्द्र सिंह आर. पी. शर्मा आर. के. कालिया

TOP EXECUTIVES

GENERAL MANAGERS

V. K. Chopra

S. R. Narayanan

P. R. Sethi

V. K. Bhandari

D. Viswanathan

J. J. Bhattacharjee

S. K. Gupta

V. P. Krishnan

P. R. Subramanian

M. B. Khurjekar S. R. Krishnan

P. Subbarao

K. Raghuraman

G. Gupta

N. R. Machale

DY, GENARAL MANAGERS

Mrs. K. N. Mistry

S. S. Suresh

S. T. Karkhanis

M. R. Mallya

H. P. Minocha

M. M. Lopes S. Dasgupta

I. Satyanarayana

R. P. Mahna

D. Gopalakrishnan

N. K. Jaiswal

R. Kasi

E. Dwarakinathaiah

S. C. Bandyopadhyay

K. Balachandran

P. D. Patel

K. K. Gupta

A. Sundaramurthy

M. C. Julka

T. R. Varma

Birendra Singh

R. P. Sharma

R. K. Kalia



निदेशकों की रिपोर्ट : 1998-99

निदेशक मंडल 31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते सहित बैंक का वार्षिक प्रतिबेदन सहर्ष प्रस्तुत कर रहा है.

- आर्थिक परिदृष्ण :
- 1.1 वर्ष 1998-99 के दौरान देश में आर्थिक विकास को काफी अस्थिर एवं प्रतिकूल अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण की पृष्ठभूमि में देखना होगा. विश्व अर्थव्यवस्था मंदी अनुभव कर रही है तथा प्रमुख वस्तुओं के दामों में गिरावट आई है.
- 1.2 केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) के संशोधित अनुमानों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में 1997-98 के 5.0% वृद्धि दर की तुलना में 1998-99 में 6.00% की वृद्धि अनुमानित है. 1998-99 में वृद्धि मुख्यतः ''कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों में'' हुए व्यापक परिवर्तनों 1997-98 के (-) 1.0% से बढ़कर 1998-99 में 7.6% तथा सेवा क्षेत्र में अच्छे निष्पादन के कारण हुई है. उत्पादन क्षेत्र में 1997-98 के 5.9% की तुलना में 4.1% की मामूली वृद्धि दर्ज किए जाने का अनुमान है.
- 1.3 वर्ष के प्रारंभ में कुछ कृषि उत्पादों में वृद्धि के कारण सितम्बर, 1998 के अन्त में मुद्रास्फीति की दर 8.8% तक वढ़ गई थी. लेकिन अगले अर्द्ध-वर्ष में तेजी से गिरकर जनवरी में यह 5% से भी कम हो गई थी. लेकिन अगले अर्द्ध-वर्ष में तेजी से गिरकर जनवरी में यह 5% से भी कम हो गई. मुद्रास्फीति की दर जिसका निर्धारण थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी.आई.) के आधार पर बिन्दुवार किया जाता है वह 1997-98 के 5.3% की तुलना में 1998-99 के अंत में 5% रही.
- 1.4 वित्तीय वर्ष 1999 में अर्थव्यवस्था के बाह्य क्षेत्रों ने काफी लचीलापन दर्शाया है. वर्ष के दौरान भुगतान की स्थिति काफी संतोषजनक रहीं. वर्ष 1998-99 के दौरान चाल खाते का घाटा मकल उत्पाद का 1.0 प्रतिशत होने का अनुमान है, जांकि 1997-98 (1.6 प्रतिशत) में दर्ज घाटे से काफी कम है. अंतर्शप्ट्रीय घटनाओं के बावजूद देश के विदेशी विनिमय आरक्षित राशि में अपेक्षित सुधार हुआ एवं मार्च, 1998 के अन्त में 29.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आरक्षित राशि मार्च, 1999 के अन्त में बढ़कर 32.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई.

DIRECTORS' REPORT: 1998-99

The Board of Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank alongwith the Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 1999.

- ECONOMIC SCENARIO:

- 1.1 The economic developments in the country during 1998-99 have to be viewed against the backdrop of an exceptionally turbulent and unfavourable international economic environment. Global economy experienced deceleration in its growth and decline in prices of major commodities.
- 1.2 According to the revised estimates of the Central Statistical Organisation (CSO), the GDP growth in 1998-99 is estimated to be 6.0 percent as compared with a growth rate of 5.0 percent for 1997-98. The increase in growth rate in 1998-99 is largely due to the turnaround in the output from 'agriculture and allied activities' from (-) 1.0 percent in 1997-98 to 7.6 percent in 1998-99, and to the continued good performance of the services sector. The manufacturing sector is estimated to have registered only a modest growth of 4.1 percent as compared to 5.9 percent recorded in 1997-98.
- 1.3 In the beginning of the year due to a spurt in prices of some agricultural commodities, the rate of inflation escalated to 8.8% in late September, 1998. However, during the latter half of the year it dropped steeply to below 5% in January. The rate of inflation on a point to point basis as measured by the Wholesale Price Index (WPI) was placed at 5% at the end of 1998-99 as compared with 5.3% in 1997-98.
- 1.4 The external sector of the economy has shown marked resilience during the fiscal 1999. The balance of payments position during the year was fairly comfortable. During 1998-99 the current account deficit is estimated to be about 1.0 per cent of GDP, much lower than recorded in 1997-98 (1.6 per cent). Despite international happenings foreign exchange reserves of the country increased significantly, from US \$ 29.4 billion at the end of March, 1998 to US \$ 32.5 billion by the end of March, 1999.

- 1.5 पूर्वी एशिया का संकट जो 1998 में फैला एवं गहराया इससे विश्व वितीय बाजार में अस्थिरता एवं अनिश्चितता का माहौल बन गया. जिसके कारण निवेश लक्ष्यों के रूप में उभर रहे बाजारों का पुनर्निधारण किया गया. यद्यपि, संचयन आरक्षित राशि में कुछ वृद्धि के साथ देश के भुगतान की स्थिति संतोषजनक रही, फिर भी, विदेशी निवेश संस्थानों द्वारा निवेश पोर्टफोलियों में निकासी एवं व्यवसायिक उधारों तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में अतर्वाहों के कमी की कारण 1997-98 की अपेक्षा 1998-99 में निवल पूंजी अंतर्वाहों के कम रहने की संधावना है.
- वर्ष 1998-99 में एम3 में बिन्दुवार आधार पर वार्षिक वृद्धि 1997-98 के 17.9% रही. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल जनाएं 1997-98 के रु. 6,05,410 करोड़ से बढ़कर 1998-99 में रु. 7,17,271 करोड़ हुई. इनमें पिछले वर्ष के 19.7% की अपेक्षा इस वर्ष 18.5% की वृद्धि हुई. गैर-खाद्यान बैंक ऋणों ने पिछले वर्ष के रु. 40,789 करोड़ (15.1%) की वृद्धि की अपेक्षा इस वर्ष में रु. 37,594 करोड़ (12.1%) की कमी दर्शाई. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से वाणिज्यिक शेत्र में कुल निधियों के प्रवाह के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी कम्पनी क्षेत्र में कुल निधियों के प्रवाह के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी कम्पनी क्षेत्र द्वारा जारी बांड/डिबेंचर/शेयर एवं व्यवसायिक पत्रों में वर्ष 1998-99 के दौरान बैंक का निवेश पिछले वर्ष के इसी अवधि की रु. 53,377 करोड़ की तुलना में रु. 54,304 करोड़ बढ़ा. व्यवसायिक क्षेत्रों में पूंजी निर्गम, जीडीआर एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण को शामिल करते हए कुछ संसाधनों का प्रवाह पिछले वर्ष रु. 1,06,100 करोड़ से कम होकर रु. 1,04,635 करोड़ हो गया. वर्ष के दौरान खाद्यान्न ऋण विस्तार पिछले वर्ष के रू. 1,889 करोड़ के सापेक्ष इस वर्ष रू. 4,331 करोड़ रहा. सरकारी प्रतिभृतियों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का निवेश पिछल वर्ष के रु. 28,067 करोड़ की तुलना में बढ़कर रु. 35,787 करोड़ हो गया. अनुर्माचत वाणिज्य बैंकों द्वारा वर्ष के दौरान सरकारी को दिए गए धन का फलाव पिछले वर्षों की अपेक्षाकृत अधिक रहा.
- 2. वैंकिंग क्षेत्र के लिए नीनियों का विकास :
- 2.1 वैंकों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने एवं अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से वर्ष के दौरान

- 1.5 The East-Asian crisis which continued to deepen and spread in 1998, led to tremendous volatility and uncertainty in global financial markets resulting in a reassessment of emerging markets as investments destinations. Though the country's balance of payments remained favourable with some increase in reserve accumulation, the net capital inflows are expected to be lower in 1998-99 than in 1997-98 as a result of deceleration in the inflows of Foreign Direct Investment and commercial borrowings and outflow of portfolio investments by FIIs.
- 1.6 During 1998-99; the annual growth in M3 on a pointto-point basis was 17.8 percent as against 17.9 percent in 1997-98. Aggregate deposits of Scheduled Commercial Banks increased from, Rs. 6,05,410 crores in 1997-98 to Rs. 7.17,271 crores in 1998-99 recording a rise of 18.5% as against 19.7% recorded in the previous year. Non-Food Bank Credit showed a lower expansion of Rs.37,594 crores (12.1%) as against an increase of Rs. 40,789 crores (15.1%) in the previous year. The total flow of funds from Scheduled Commercial Banks to the Commercial Sector including Bank's investments in Bonds/Debentures/Shares issued by Public Sector undertakings and Private Corporate Sector and Commercial Papers increased by Rs. 54,304 crores during 1998-99 as against an increase of Rs. 53,377 crores in the corresponding period of the previous year. Total resources flow to the Commercial Sector including capital issues, GDRs and borrowing from Financial Institutions is lower at Rs. 1,04,635 crores as against Rs.1,06,100 crores in the previous year. Food Credit expansion during the year was of the order of Rs. 4,331 crores as against Rs. 4,889 crores in the previous year. Scheduled Commercial Bank's investments in Government Securities increased by Rs. 35,787 crores during the year as against Rs. 28,067 crores in the previous year. The share of lending to Government in the overall deployment of resources by the Scheduled Commercial Banks during the year was substantially larger than in the preceding year.
- 2. POLICY DESEROPMENTS FOR BANKING SECTOR:
- 2.1 Several measures were announced by the Reserve Bank of India during the year with a view to strengthening



भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनेक उपायों की घोषणा की गई. अप्रैल, 1998 में घोषित उपायों में कुछ इस प्रकार थे:

- 2.1.1 रु. 2 लाख तक के ऋणों के लिए ब्याज दरों का निर्धारण किया गया जिससे कि रु. 2लाख से अधिक की ऋण सीमा वाले मूल ऋणियों पर लागू पी.एल.आर. में वृद्धि न हो.
- 2.1.2 भीयादी जमाओं पर दिए गए सभी अग्रिमों के लिए ब्याज दर पी.एल.आर. के बराबर अथवा इसके कम निर्धारित की गुई.
- 2.1.3 मीयादी जमाओं की न्यूनतम परिपक्वता अवधि को 30 दिनों से घटाकर 15 दिन किया गया.
- 2.2 बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिंहम सिमिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 अक्तूबर. 1998 को जारी मौद्रिक एवं ऋण नीति की मध्यविधि समीक्षा पर बहुत से निर्णयों की घोषणा की. यह सरकारी/अनुमोदित प्रतिभूतियों, सरकारी गारंटी अग्रिमों, हेतु जोखिम भार, मानक आस्तियों हेतु सामान्य प्रावधान, बैंकों के लिए उच्च पूंजी जोखिम भारता अनुपात (मार्च, 2000 तक 8% से 9%) आदि प्रारंभिक पहलूओं से संबंधित है.
- 2.3 अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र की मंदी, अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त बैंक ऋण सुलभता से उपलब्ध कराना एवं मूल्यों में स्थिरता को सुनिश्चित करने हेतु सामग्री रूप में तरलता में वृद्धि राकना ही भारतीय रिजर्व बेंक की वर्ष 1999-2000 की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य रहा है. घोषित किए गए महत्वपूर्ण उपायों की विशिष्टताएं निम्न प्रकार से हैं:
- 2.3.1 एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी की स्थापना की गई है जिसमें भारतीय नागरिक/संस्थानों के अतिरिक्त विदेशी निवेशक तथा अनिवासी भारतीय, किसी विनियम की समीक्षा अथवा भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्कताएं जो उन्हें प्रभावित करती हैं, के लिए सुझाब दे सकते हैं. 2.3.2 नकदी आरक्षित अनुपात में 8' मई, 1999 के पखवाड़े से आधे प्रतिशत की कमी करके इसे 10.5% से 10% कर दिया गया है. 2.3.3 यह निर्णय लिया गया है कि रेपों के माध्यम से अंतरित तरलता समायोजन सुविधा (आई.एल.ए.एफ.) एवं भारत सरकार की प्रतिभृतियों के सम्पार्श्व के विरुद्ध ऋण सुविधा प्रारंभ की जाए, अंतरिम तरलता समायोजन सुविधा एक ऐसी व्यवस्था

- the financial health of the banks and to enable them to meet the credit requirements of the productive sectors of the economy. Among the measures announced in April, 1998, were:
- 2.1.1 Interest rates on loans upto Rs.2 lakh were set so as not to exceed PLR applicable to prime borrowers with credit limits over Rs.2 lakhs.
- 2.1.2 All advances against term deposits were set at interest rates equal to or less than PLR.
- 2.1.3 The minimum maturity period of term deposits was reduced from 30 to 15 days.
- 2.2 Based on the recommendations of the Narasimham Committee on Banking Sector Reforms, the Reserve Bank of India announced a number of decisions as part of its Mid-term Review of the monetary and credit policy announced on October 30, 1998. These related to phased introduction of risk weight for Government/approved securities, risk weight for Government guaranteed advances, general provision for standard assets, higher Capital to Risk-weighted Asset Ratio for Banks (from 8% to 9% by March, 2000), etc.
- 2.3 Facilitating the flow of adequate Bank credit to productive sectors of the economy and restraining the overall growth of liquidity in order to ensure price stability, were the main objectives of the monetary and credit policy of Reserve Bank of India for the year 1999-2000. Highlights of the important policy measures announced are as follows:
- 2.3.1 A Regulation Review Authority has been set up to which foreign investors as well as NRIs in addition to Indian citizens/institutions can make suggestions for review of any regulations or requirements of Reserve Bank of India which affect them.
- 2.3.2 Cash Reserve Ratio has been reduced by half percentage point from 10.5% to 10% with effect from the fortnight May 8, 1999.
- 2.3.3 It has been decided to introduce an Interim Liquidity Adjustment Facility (ILAF) through repos and lending against collateral of Government of India securities. The

प्रदान करेगी जिसके द्वारा विभिन्न ब्याज दर्शे पर तरलता दी जाएगी एवं जब भी आवश्यक होगा इसे नियत रेपो दर पर समायोजित किया जाएगा जिससे की मुद्रा बाजार में अस्थिरता न्यूनतम रहे व बाजार उचित प्रकार से परिचालित किया जा सके.

- 2.3.4 विवेकपूर्ण लेखा मानकों को अंगीकृत करने एवं निवेश पोर्टफोलियों का मूल्यांकन ''मार्क ट्रं मार्केट'' करने हेतु बैंकों को 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से अपनी प्रतिभूतियों का कम से कम 75% चालू निवेश में वर्गीकृत करना होगा.
- 2.3.5 यह निर्णय लिया गया है कि अन्य बैंकों द्वारा जारी टियर ॥ बांडों में बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों का निवेश इनकी कुल पूंजी का 10% अधिकतम होना चाहिए.
- 2.3.6 यह निर्णय लिया गया है कि निष्पादक आस्तियों में पुन: वर्गीकरण हेतु पुन: समझौता/पुन: निर्धारण किए गए ऋण करारों की 2 वर्षों की प्रतीक्षा अविध को घटाकर 1 वर्ष (अथवा 4 तिमाहियां) कर दिया जाए वशर्ते की पुन: निर्धारण की शतों के अनुसार ब्याज एवं ऋणों की किश्तों का नियमित रूप से भुगतान हो.
- 2.3.7 प्रत्येक बैंक के निदेशक मंडल इकाईयों के व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख को नियत करने के लिए अब से विस्तृत नियम निर्धारित करेंगे.
- 2.3.8 यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को लघु सड़क एवं गैर-परिवहन चालकों की इकाईयों को आगे दिए जाने वाले वृद्धिशील ऋण तथा अत्यंत लघु क्षेत्र की इकाईयों को आगे दिए जाने वाले वृद्धिशील ऋण तथा अत्यंत लघु क्षेत्र की इकाईयों को दिए वृद्धिशील ऋण 31 मार्च, 1999 के बाद प्राथमिकता प्राप्त केत्र की स्थिति को प्राप्त करेंगे.
- 2.3.9 जोखिम पूंजी के लिए वित्त की उपलब्धता कराने हेतु, बैंकों का शेयर एवं परिवर्तनीय डिबेंचरों आदि में निवेश की समग्र सीमा जो कि वर्तमान में उनकी वृद्धिशील जमाओं का 5% है, वह स्वतः ही बढ़कर बैंक द्वारा जोखिम पूंजी के किए गए निवेश तक हो जाएगा. यह भी निर्णय लिया गया है कि जोखिम पूंजी के निवेश की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में शामिल किया जाए.
- 2.3.10 मूलभूत आवश्यकता वाले प्रोजेक्टों को ऋण की उपलब्धता में सुधार के लिए बैंक सार्वजनिक एवं प्राईवेट क्षेत्र दोनों के उपक्रमों

- ILAF would provide a mechanism by which liquidity will be injected at various interest rates and absorbed when necessary at the fixed repo rate, so that the volatility in the money market is minimised and the market operates within a reasonable range.
- 2.3.4 With a view to adopt prudent accounting standards and moving towards 'mark to market' valuation of the investment portfolio, banks will have to classify a minimum of 75% of their securities as current investments with effect from the year ending March 31, 2000.
- 2.3.5 It has been decided that banks' or financial institution's investment in Tier II bonds issued by other banks should be subjected to a ceiling of 10% of the Bank's or Financial Institution's total capital.
- 2.3.6 It has been decided that the waiting period of two years on renegotiated/rescheduled loan agreements may be reduced to one year (or four quarters) if the interest and instalment of loans have been serviced regularly as per the terms of rescheduling.
- 2.3.7 The Board of Directors of each bank will henceforth prescribe detailed rules for determining the date of commencement of commercial production of units.
- 2.3.8 It has been decided that the incremental credit given to NBFCs by banks for on-lending to small road and water transport operators and to units in the tiny sectors over March 31, 1999 will qualify for Priority Sector status.
- 2.3.9 In order to encourage the flow of finance for venture capital, the overall ceiling of investment by banks in shares, convertible debentures, etc. which is currently at 5% of their incremental deposits will stand automatically enhanced to the extent of Bank's investment in venture capital. It has also been decided to include investments in venture capital in Priority Sector lending.
- 2.3.10 For improving the flow of credit to infrastructure projects, banks will be free to sanction term loans for technically feasible, financially viable and bankable

द्वारा लिए गए तकनीक रुप से साध्य, वितीय रुप से व्यवहार्य, बैंक ग्राह्म प्रोजेक्टों के लिए मीयादी ऋण स्वीकृत करने के लिए बैंक स्वतंत्र होगा. बशर्ते कि यह निर्धारित मानदंड आस्ति देवता प्रबंधन (एएलएम) की रुपरेखा एवं विवेकपूर्ण अरक्षितता मानदंडों के अधीन हो.

2.3.11 यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न परिपक्वताओं के लिए भिन्न-भिन्न पी.एल.आर. लेने हेतु बैंकों को स्वतंत्रता दी जाए बशर्ते कि मूल रूप में परिकल्पित पारदर्शिता एवं एकसमानता बनाए रखी जाए.

2.3.12 । मई, 1999 से ई.ई.एफ.सी. श्रेणी के समक्ष चेक जारी करना.

- 3. बैंक का निष्पादन
- 3.1 बैंक के कुल व्यवसाय में पिछले वर्ष के रु. 6,362 करोड़ (17.2%) की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 1998 के रु. 37,087 करोड़ से बढ़ कर 31 मार्च, 1999 को रु. 5,210 करोड़ की वृद्धि के साथ यह रु. 43,449 करोड़ हो गए. कुल व्यवसाय में पिछले वर्ष में दर्ज 16.4% वृद्धि की सापेक्ष 1998-99 में यह वृद्धि 17.2% रही.
- 3.2 मार्च, 1999 के अंतिम शुक्रवार को दर्ज किए गए आंकड़ों के

अनुसार हमारे बैंक की सकल जमाओं के साथ-साथ ऋणों में औसत वृद्धि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों से अधिक रही. येंक की सकल जमाओं एवं ऋणों में वर्ष के दांरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल जमा में वृद्धि 18.5% एवं सकल ऋणों में 12.9% की वृद्धि के सापेक्ष हमारे बैंक में क्रमशः 18.7% एवं 17.7% वृद्धि रही. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में पिछले वर्ष के 40.9% के सापेक्ष सुधार के साथ यह 43.4% रही. बैंक ने निक्षेप बीमा प्रत्यय गारंटी निगम जिसमें लघु ऋण एवं लघु उद्योग क्षेत्र के ऋण कवर होते हैं, उससे बाहर निकलन का विकल्प लिया.

3.3 बैंक के कुल निवेश 19.6% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.3.1998 को

projects undertaken by both public and private sector undertakings subject to prescribed criteria and the framework of Asset Liability Management (ALM) and prudential exposure norms.


- 2.3.11 It has been decided to provide banks with freedom to operate different PLRs for different maturities provided the transparency and uniformity of treatment originally envisaged continues to be maintained.
- 2.3.12 Issue of cheques against EEFC balances has been granted with effect from May 1, 1999.

3. PERFORMANCE OF OUR BANK:

- 3.1 The Total Business of the Bank increased by Rs.6,362 crores (17.2%) from Rs.37,087 crores as on March 31, 1998 to Rs.43,449 crores as on March 31, 1999 as against Rs.5,210 crores (16.4%) recorded in the previous year.
- 3.2 The growth of the Bank in terms of both, Aggregate Deposits as well as Credit has been higher as compared to the growth recorded by Scheduled Commercial Banks as

on the last Friday of March, 1999. The growth in Aggregate deposits and Credit of the Bank during the year was to the tune 18.7% and 17.7% respectively as against the growth of 18.5% in Aggregate deposits and 12.9% in Credit recorded by the Scheduled Commercial Banks. The share of Priority Sector Credit improved to 43.4% as of March, 1999 as against 40.9% in the previous year. The Bank has opted out from the Guarantee Schemes of DI&CGC covering small loans and SSI advances.

3.3 Total investments of the Bank increased from Rs. 12,767 crores as on 31.3.1998 to Rs.15,263 crores as



र.12767 करोड़ से बढ़ कर रा.3.1999 को रु. 15263 करोड़ हो गए.
3.4 बैंक ने पिछले वर्ष रु. 174.89 करोड़ के विरुद्ध रु. 146.25 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया. 1.4.1999 से बैंक के डीआई एवं सीजीसी योजना से बाहर रहने तथा परिणामस्वरूप प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों पर एकमुश्त उपाय के रूप में प्रावधान के वृद्धि के साथ सिन्कट वेतन संशोधन, पीएलआर में गिरावट के कारण स्प्रेड में कमी और अर्थ और अर्थव्यवस्था के धीमेपन के कारण उत्पन्न मंद व्यवस्था प्रगति के चलते रु. 40 करोड़ का तदर्थ प्रावधान करने पर शुद्ध लाभ में रु. 28.64 करोड़ की कमी हुई. प्रति शाखा बैंक का व्यवसाय 17% की बढ़ोत्तरी दशित हुए मार्च, 1998 की समाप्ति पर रु. 12.01 करोड़ से बढ़कर मार्च, 1999 की समाप्ति पर रु. 14.05 करोड़ हो गया. प्रति कर्मचारी कुल व्यवसाय भी 19% की बढ़ोत्तरी दर्शित हुए मार्च, 1998 को रु. 74.62 लाख से बढ़कर 31 मार्च, 1999 में रु. 88.79 लाख हो गया.

संसाधन संग्रहण

- 4.1 कैंक की कुल जमा रिशयां 31 मार्च, 1998 को रू. 26,373 कोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 1999 को रू. 30,649 करोड़ हो गई. इस प्रकार 16.2% का सुधार रिकार्ड किया गया. कम लागत वाली बचत जमा रिशयों के संग्रहण पर विशेष ध्यान दिया गया. कुल जमा रिशयों में बचत जमा रिशयों का हिस्सा मार्च, 1998 के (अंतिम शुक्रवार) 30.28% से सुधरकर मार्च, 1999 (अंतिम शुक्रवार)को 30.40% हो गया.
- 4.2 वर्ष के दौरान बेंक ने किसानों के लिए ग्रामीण व अर्द्ध-शहरी शाखाओं में एक नई जमा योजना प्रारंभ की जिसका नाम "किसान कृषि धन जमा योजना" रखा. यह योजन फसल की कटाई के समय किसानों की अतिरिक्त आमदनी को जमा करने तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें नकदी कराने हेतु प्रारंभ की गई थी.
- ५. ऋण
- 5.1 ऋण प्रबंधन
- 5.1.1 <u>उधार द</u>रें

वर्ष के दौरान बैंक ने पीएलआर एवं एमटीएलआर को निम्नानुसार कम किया :

5.1.11 12.5.1998 से पीएलआर 14.5% से 13.5% तक 5.1.12 12.5.1998 से एमटीएलआर 13.75% से 13.50% तक on 31.3.1999 recording an increase of 19.6%.

3.4 The Bank registered a Net Profit of Rs. 146.25 crores as against Rs.174.89 crores recorded in the previous year. The fall of Rs.28.64 crores in Net Profit is on account of the decision of the Bank to opt out of the DI&CGC Scheme from 1.4.1999 and consequent enhanced provisioning on Priority Sector Advances as a one time measure coupled with the adhoc provision of Rs. 40 crores on account of the impending wage revision, the reduction in spreads on account of reduction of PLR and the slowdown in the economy which resulted in sluggish business growth. The Per Branch business of the Bank went up from Rs.12.01 crores as at the end of March, 1998 to Rs. 14.05 crores as at the end of March, 1999 reflecting a rise of 17.0%. The total business per employee also increased from Rs.74.62 lakhs as on March 31, 1998 to Rs. 88.79 lakhs as on March 31, 1999 reflecting an increase of 19.0%.

4. RESOURCE MOBILISATION:

- 4.1 Total Deposits of the Bank increased from Rs.26,373 crores as on March 31, 1998 to Rs.30,649 crores as on March 31, 1999, thereby recording an improvement of 16.2%. Special attention was given to the mobilisation of low cost Savings deposits. The share of Savings deposits in Aggregate deposits improved from 30.28% as of March, 1998 (last Friday) to 30.40% as of March, 1999 (last Friday).
- 4.2 During the year the Bank introduced a new deposit scheme for Rural and Semi-urban branches named as "Kisan Krishi Dhan Deposit Scheme" for the benefit of the farmers. The scheme was introduced to mop up the surplus income of the farmers at the time of the harvesting and to provide liquidity to them as and when required.
- 5. CREDIT:
- 5.1 Credit Management:
- 5.1.1 Lending Rates:

During the year the Bank reduced the PLR-and MTLR as under:

- 5.1.11 PLR from 14.5% to 13.5% w.e.f. 12.5.1998.
- 5.1.12 MTLR from 13.75% to 13.50% w.e.f. 12.5.1998.

5.1.13 1.4.1999 से पीएलबाह एवं एमटीएलआर 13.5% से 12.5% प्र.व. तक

उपरोक्त कमियां प्रचलित बाजार की स्थिति को ध्यान में रखकर की गई की.

5.1.2 नई नीतियों का गठन : 5.1.21 भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय बैंक संघ द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों पर आधारित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग के कित्तपोषण हेतु एक नीति बनाई गई.

बैंक के कुल ऋण का 2% इस क्षेत्र

के लिए अलग किया गया है. 5.1.22 अमूर्त शेयरों के विरुद्ध अग्निमों की अनुमति 40% मार्जिन के साथ वैयक्तिक के मामले में रु. 20 लाख तक

5.1.23 र.। करोड़ व उससे अधिक स्वीकृत ऋण सीमा वाले सभी

की दी जा चुकी है.


उधारकर्ताओं को सूचित किया गया है कि सुनिश्चित करें कि वे ''वाई 2 के अनुवर्ती'' हैं. इसके लिए स्वीकृति पत्र में एक उपयुक्त खंड जोड़ा गया है.

5.1.24 भारतीय रिजर्व बैंक के नीति के अनुसार इक्विटी और डिबेंचर्स के विरुद्ध तात्कालिक ऋणों की स्वीकृति हेतु मानदण्डों का पुन: निर्धारण किया गया है.

5.1.25 मूल्यांकन पद्धित में सुधार एवं शीघ्र ऋण स्वीकृत करने हेतु बैंक ने 18 शाखाओं को कार्पोरेट फाइनेन्स शाखाएं (सीएफबी) तथा 1.09 शाखाओं को क्रेडिट डीलीवरी शाखाएं (सीडीबी) के रूप में नामजद किया है. सीएफबी को 1.10.1998 से तथा सीडीबी को 1.1.1999 से परिचालन में लाया गया. ये शाखाएं हमारे बड़े एवं कार्पोरेट ग्राहकों को ऋण प्रदान कर संस्थागत ढाँचे को मजबृत करेंगी.

5.2 ऋण विस्तार

बैंकिंग पद्धति द्वारा अनुभव की गई ऋण की धीमी खरीद-फरोख्त एवं मंदी के दौर के बावजूद भी बैंक का कुल ऋण जो 31 मार्च, 1998 को



5.1.13 PLR & MTLR from 13.5% to 12.5% w.e.f. 1.4.1999. The above reductions were made keeping in view the prevailing market conditions.

5.1.2 Framing of New Policies:

5.1.21 A Policy for financing the Computer Software Industry was formulated based on the guidelines given by RBI/IBA. 2% of Gross Credit of the Bank has been earmarked to the sector.

5.1.22 Advances against Dematerialised Shares have been permitted upto Rs.20 lakhs in case of individuals with a margin of 40%.

5.1.23 All Borrowers with sanctioned limits of Rs.1 crore

and above have been advised to ensure that they are "Y2K Compliant". A suitable clause to this effect has been included in the sanction letter.

5.1.24 Norms for sanctioning of Bridge Loans against equities and debentures have been redefined in line with the policy of Reserve Bank of India.

5.1.25 In order to improve the system of appraisal and expedite credit sanctions, the Bank has designated 18 branches as Corporate Finance Branches (CFB) and 109 branches as Credit Delivery Branches (CDB). CFBs were made operational from 1.10.1998 and CDBs from 1.1.1999. These branches will strengthen the institutional structure for delivery of credit to our large and corporate clients.

5.2 Credit Expansion:

Despite recessionary trends and slow off-take of credit experienced by the banking system, the total credit of the Bank which stood at Rs.10,714 crores as on March 31, 1998 increased to Rs.12,800 crores as on March 31, 1999